# अध्याय–II
# लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

## 2.1 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

राजस्व हिस्सेदारी भुगतान का सम्बन्ध सेवा प्रदाताओं द्वारा अर्जित सकल राजस्व से है। सरकार को भुगतान किए गए राजस्व हिस्सेदारी का सटीक एवं सम्पूर्ण होना इस बात पर निर्भर करता है कि संचालक द्वारा जी आर/ए जी आर का अभिकलन लाइसेन्स शर्तों के अनुसार था एवं डी ओ टी द्वारा की गयी व्यवस्थाएँ इस अभिकलन के सटीक होने के सत्यापन/निर्धारण के लिए सहायक थीं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तिया एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के धारा 16 एवं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाता (लेखा–खाताओं एवं अन्य दस्तावेजों का रखरखाव) नियम, 2002 के नियम 5 (ii) के अधिदेश, जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 17 अप्रैल 2014 के निर्णय द्वारा मान्य ठहराए गए, के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 2014–15 में छः दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के 2006–2007 से 2009–2010 तक के चार वर्ष के लेखाओं का मूल लेखाकरण अभिलेखों एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया। चयन किए गए प्रदाता थेः–

- मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड एवं इसकी सहायक कम्पनी भारती हेक्साकॉम लिमिटेड
- मेसर्स वोडाफोन इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कम्पनियाँ
- मेसर्स रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड एवं इसकी सहायक कम्पनी मेसर्स रिलाइंस टेलीकॉम लिमिटेड
- मेसर्स आईडिया सेलूलर लिमिटेड एवं इसकी सहायक कम्पनी आदित्य बिरला टेलीकॉम लिमिटेड
- मेसर्स टाटा टेली सर्विसेस लिमिटेड एवं इसकी सह कम्पनी मेसर्स टाटा टेलीसर्विसेस (महाराष्ट्र) लिमिटेड
- मेसर्स एयरसेल लिमिटेड एवं इसकी सहायक कम्पनियाँ एयरसेल सेलुलर लिमिटेड एवं डिशनेट वायरलेस लिमिटेड

लेखापरीक्षा के इस चरण के लिए उपरोक्त छः प्रचालकों के चयन के पीछे प्राथमिक विचार यह था कि दूरसंचार क्षेत्र को निजी सहभागिता के लिए खोलने के बाद ये दूरसंचार व्यवसाय में आए हुए प्रारम्भिक प्रवेशी थे। साथ ही साथ, ये प्रचालक बाजार के वर्चस्व वाले व्यवसायी हैं एवं सरकार को कुल लाइसेन्स शुल्क आय का महत्वपूर्ण हिस्सा इनसे प्राप्त होता है। इन कम्पनियों की मार्च 2007 एवं 2010 की बाजार हिस्सेदारी नीचे दर्शायी गयी थी।

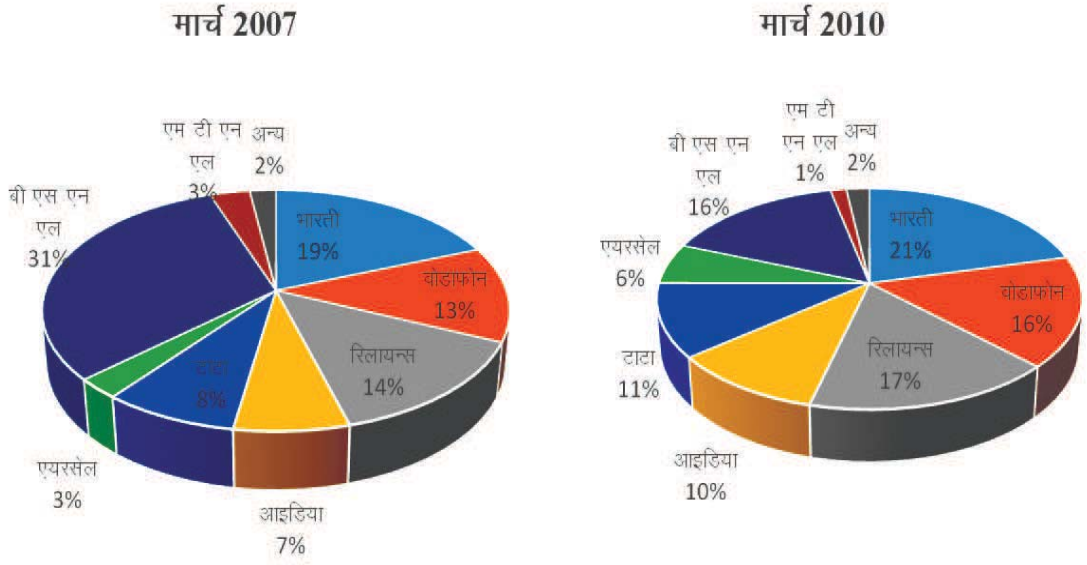


**(*स्रोत: टीआरएआई / सीओएआई*)**

इसके अलावा, निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा भुगतान किए गए दूरसंचार राजस्व के लेखापरीक्षा की शुरूआत करते समय मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड एवं मेसर्स भारती हेक्साकॉम लिमिटेड (मेसर्स बी ए एल/बी एच एल) की लेखापरीक्षा, इनके उच्चतम बाजार हिस्सेदारी/राजस्व हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए, पहले की गयी। रिपोर्ट तैयार करते समय, उठाए गए सामान्य मुद्दों पर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण का, मेसर्स बी ए एल/बी एच एल पर अध्याय–III में विस्तार से चर्चा की गई है। अन्य अध्यायों में लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के आवृत्ति से बचने के लिए, अध्याय–III में दिए गए लेखापरीक्षा के विस्तृत दृष्टिकोण का संदर्भ लिया गया है।

लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में ए जी आर प्राप्त करने के लिए की गई कटौती की विधि का सत्यापन, राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ एवं एस यू सी) का संग्रह का सत्यापन एवं डी ओ टी द्वारा किए गए जी आर के निर्धारण का सत्यापन भी शामिल था।

## 2.2 लेखापरीक्षा पद्धति

**(क)** लेखापरीक्षा के शुरू होने के पहले, सभी सेवा प्रदाताओं के साथ अलग–अलग बैठकें आयोजित की गयीं थीं, जिसमें लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं कवरेज की व्याख्या की गयी। कम्पनी के प्रतिनिधियों ने लेखापरीक्षा को अपने राजस्व पहचान नीतियों, राजस्व दर्ज करने की प्रणाली एवं ए जी आर विवरणों के तैयारी की जानकारी दी।

इन निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के परिसर में लेखापरीक्षा, मूल रूप से एक प्रणाली आधारित लेखापरीक्षा (सिस्टम बेस्ड ऑडिट) थी। लेखापरीक्षा को उनके वित्तीय प्रणाली (ओरेकल फाईनेन्शियल या एस ए पी) को जनरल लेजर (जी एल) एन्क्वायरी मोड़यूल की पहुँच प्रदान की गई। लेखापरीक्षा ने विस्तृत जांच के लिये पहचानने के लिए नमूना परीक्षण आधार पर उन लेखा कोडों की संवीक्षा की जिनका लाइसेंस अनुबंध के अनुसार सकल राजस्व एवं राजस्व हिस्सेदारी के प्रयोजन के लिए की गयी कटौतियों मे दखल था। लाईसेंसधारी ने ए जी आर विवरणों एवं

सेवा राजस्व के बीच समाधान, और अन्य आय लाभ एवं हानि लेखाओं का वित्तीय आय को भी ट्रायल बैलेंस (टी बी) के साथ विधिवत् मैप करके प्रदान कराया। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त आँकड़ों, सूचना एवं स्पष्टीकरणों को, लेखापरीक्षा प्रश्न जारी करके एवं सम्बन्धित प्रचालकों के साथ विचार–विमर्श करके, प्राप्त किया गया।

**(ख)** कॉरपोरेट आय को लाइसेंसों के बीच सकल राजस्व के प्रतिशत के आधार पर विभाजित किया गया है क्योंकि कॉरपोरेट आय सभी सेवा क्षेत्रो पर यू ए एस एल की दर से सम्बन्धित है। सम्बन्धित सेवाओं के लिए लागू दरों के आधार पर एल एफ एवं एस यू सी का परिकलन किया गया है।

लेखापरीक्षा इसको राजस्व हिस्सेदारी की कमी को निर्धारित करने का सबसे उपयुक्त एवं संकुचित प्रणाली मानता है।

लाइसेन्स अनुबन्ध के खण्ड 20.2 एवं 20.5 के अनुसार, एल एफ एवं एस यू सी के भुगतान नहीं की गई राशि पर ब्याज का परिकलन अगली तिमाही से देय है। परन्तु लेखापरीक्षा ने भुगतान नहीं की गई देयों पर परिकलन अगले वित्तीय वर्ष के शुरूआत से की है एवं इसलिए इस रिपोर्ट में दर्शाए गए ब्याज के आँकड़ें, लाइसेन्स की शर्तों के अनुसार देय वास्तविक ब्याज से कम हैं।

## 2.3 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा में इस्तेमाल किए गए महत्वपूर्ण मानदण्ड निम्नलिखित है।

- समय–समय पर संसोधित किए गए लाइसेन्स अनुबन्ध के प्रावधन
- लाइसेन्स शुल्क एवं स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार के संग्रह पर डी ओ टी द्वारा जारी किए गए विविध अनुदेश

## 2.4 आभार

इस लेखापरीक्षा को सुगम बनाने में सभी छः दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रबंधन एवं दूरसंचार विभाग के द्वारा किए गए सहयोग की हम हार्दिक सराहना करते हैं।